फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रताप पिता दोला जी खटीक निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला वगैरा
बनाम
उदयलाल पिता भगवान जी ब्राह्मण निवासी बाबलवास, तहसील कपासन वगैरा

प्रकरण संख्या 51/2023 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट्स अनुपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 09 उपस्थित। रूक-रूक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित नहीं। रेस्पो. सं. 1 से 8 की तामील अब तक शेष है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पो. सं. 1 से 8 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। न्यायालय स्तर से रेस्पो. सं. 1 से 8 की तामील हेतु नोटिस जारी करने पर तहसील कपासन में बाबलवास नाम का कोई ग्राम नहीं होने की टिप्पणी के साथ नोटिस अदम तामील प्राप्त होने पर भी अधिवक्ता अपीलांट्स को रेस्पो. सं. 1 से 8 के सही पते के नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु सूचित किया किन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक सही पते के नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। पेशी दिनांक 10.07.2024 पर अधिवक्ता अपीलांट्स को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया, पेशी दिनांक 21.08.2024 पर अन्तिम अवसर देने के बाद भी न्यायहित में एक अतिरिक्त अवसर ओर दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आगामी पेशी पर कोई अवसर देय नहीं होकर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके बावजूद भी अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा आदिनांक तक रेस्पो. सं. 1 से 8 के सही पते के नोटिस पेश नहीं किए तथा आज उपस्थित भी नहीं हुए हैं। अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	